न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 55/2019
दायरी दिनांक 25.07.2019

उनवान

1. देवकरण पिता भीमडा जाति गुर्जर निवासी कटारियोंकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़।

––अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 23.10.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कटारियोकाखेडा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 325/272 रकबा 02 बीघा कृषि भूमि मुझ प्रार्थी देवकरण पिता भीमडा निवासी कटारियोकाखेडा को आवंटित हुई थी जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में भी मेरे नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही मेरा कब्जा होकर मै और मेरे परिवारजन काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त भूमि का कब्जा मुझे आराजी संख्या 329/272 के उत्तर पूर्व भाग पर दिया गया तब से ही मै व मेरे परिवारजन इसी जगह पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व नक्शे में मुझ प्रार्थी की आवंटित भूमि को गलत जगह पर तरमीम कर दिया गया इस बात की जानकारी मुझ प्रार्थी को दिनांक 15.07.2019 को पटवार हल्का राजगढ़ से नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस लेने पर हुई। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस देखने पर ज्ञात हुआ कि मेरी आवंटित भूमि आराजी संख्या 325/272 की तरमीम आराजी संख्या 308/272 के समीप राजस्व नक्शे में कर दी गयी जहा पर मेरा कब्जा काश्त कभी नही होकर आराजी संख्या 329/272 के उत्तर पूर्व भाग में कब्जा काश्त रहा है इसलिए उक्त स्थान पर मेरे कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए मुझ प्रार्थी को आवंटित भूमि का राजस्व नक्शे मे आवश्यक परिवर्तन करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र करवायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा दिनांक 11.09.2019 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी के नाम ग्राम कटारियोंकाखेडा पटवार हल्का राजगढ तहसील माण्डलगढ़ की आराजी संख्या 325/272 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को कृषि भूमि आवंटन से दर्ज हुई है तथा आवंटन के समय से ही प्रार्थी का कब्जा 329/272 की उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे है। प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी संख्या 325/272 रकबा 2 बीघा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में प्रार्थी के कब्जेनुसार नही होकर मूल आराजी संख्या 272 में अलग जगह की हुई है जहा पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है। प्रार्थी देवकरण पिता भीमडा गुर्जर निवासी कटारियोंकाखेडा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ के नाम दर्ज आराजी संख्या 325/272 रकबा 2 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शे में हो रही तरमीम को हटाकर इसी मूल आराजी संख्या 272 में प्रार्थी के कब्जेनुसार आराजी संख्या 329/272 के उत्तर पूर्वी दिशा में किया जाना उचित व न्यायसंगत है एवं इससे राज्य सरकार को कोई हानि प्रतीत नही होती है।

Scanned by CamScanner

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 23.10.2019 को पेश हुयी। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी की ग्राम कटारियोंकाखेडा पटवार हल्का राजगढ तहसील माण्डलगढ़ में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 325/272 रकबा 2 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शे में हो रही तरमीम को हटाकर इसी मूल आराजी संख्या 272 में प्रार्थी के कब्जेनुसार आराजी संख्या 329/272 के उत्तर पूर्वी दिशा में किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी देवकरण पिता भीमडा गुर्जर निवासी कटारियोंकाखेडा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ के नाम दर्ज आराजी संख्या 325/272 रकबा 2 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शे में हो रही तरमीम को हटाकर इसी मूल आराजी संख्या 272 में प्रार्थी के कब्जेनुसार आराजी संख्या 329/272 के उत्तर पूर्वी दिशा में किया जाना उचित व न्यायसंगत होना बताया है एवं इससे राज्य सरकार को कोई हानि नही होना बताया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट, प्रश्नगत आराजियात की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-74, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं अप्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाव प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कटारियो का खेडा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 325/272 रकबा 02 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी देवकरण पिता भीमडा जाति गुर्जर निवासी कटारियोकाखेडा को आवंटित की गयी। आवंटन के समय से ही प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम नही होकर मूल आराजी संख्या 272 में अन्य जगह तरमीम कर दी गयी। चूकि प्रार्थी को आवंटन आराजी संख्या 325/272 रकबा 02 बीघा भूमि का किया गया था तथा वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा भी इसी आराजी संख्या 325/272 रकबा 02 बीघा पर ही है इसलिए राजस्व नक्शे में तरमीम भी प्रार्थी के कब्जेनुसार किया जाना आवश्यक एवं उचित था परन्तु ऐसा नही किंया गया। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कटारियों का खेडा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 325/272 रकबा 2 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शे में की गयी तरमीम को हटाकर इसी मूल आराजी संख्या 272 में प्रस्तावित अनुसार तरमीम की जावे। तहसीलदार माण्डलगढ को राजस्व रेकार्ड में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

(त्रिलोक चंद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner